न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्या:269/2016 (जीसीएमएस नं. 2016/00274)

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जगदीश नारायण जाति दर्जी, निवासी ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान।
2. कल्याण,
3. प्रभूलाल, पुत्रान भौंरीलाल, जातियान कुम्हार, निवासीयान ग्राम ढोला की बाड्या, तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल निवासीयान पंचौली मौहल्ला,, बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 29.09.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीया के कब्जे व खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 2318 रकबा 0.25 हैक्टयर ग्राम बस्सी में स्थित है जिसका साबिक खसरा नम्बर 1599 रकबा 1 बीघा है तथा उक्त आराजी में आने–जाने का रिकार्डेड रास्ता साबिका खसरा नम्बर 1588, 1585 1584, 1581 की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ तथा खसरा नम्बर 1581 1582 व 1583 की उत्तरी सीमा को लगवा स्थित चला आ रहा है जो हाल खसरा नम्बर 2318 तक चालू है जो मौके पर 16 फीट करीब चौड़ा है, जिसका साबिक खसरा नम्बर 1581 1582, 1583 की उत्तरी सीमा से लगते हुये रास्ते का इन्द्राज नकल नक्शा ट्रेस बस्सी में पुख्ता लाइनों मे से दर्शाया हुआ है जो कदीमी है परन्तु ग्राम बस्सी के एकीकरण कार्यवाही में तैयार किया गया ग्राम बस्सी का नक्शा तहसील कार्यालय से गुम हो जाने के कारण ग्राम बस्सी की हाल बन्दोबस्त कार्यवाही सन् 2008 से 2028 बिना नक्शे के की गई जिसमें साबिक खसरा नम्बर 1581 1582 1583 की उत्तरी सीमा से लगता हुआ जो रिकार्डेड रास्ता हाल खसरा नम्बर 2318 तक जाता है को बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान विलोपित कर उक्त रिकार्डेड रास्ते व उसकी भूमि को हाल खसरा नम्बर 2321 जो रेस्पोडेनट संख्या 2 के नाम खातेदारी में दर्ज है में शामिल कर रास्त को ही समाप्त कर दिया गया जबकि बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को पूर्व से दर्ज चले आ रहे इन्द्राज का ही दोहराने की शक्तियॉ प्राप्त है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत किया गया जिसमें पक्षकारान की तलबी की गई, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रकरण में तहसीलदार बस्सी से रिपोर्ट तलब की गई और दिनांक 23.06.2016 को ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प बस्सी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना ही विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2016 पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश ''न्याय आपके द्वार'' अभियान के तहत चलाये गये कैम्प में पारित कया है जबकि उक्त अभियान में केवल और केवल दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर ही प्रकरणों पर निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.06.2016 को उपरोक्त प्रकरण अपीलार्थीया को सुने बिना ही मेरिट पर निस्तारित किया है इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 को निरस्त फरमाया जाकर राजस्व ग्राम बस्सी तहसील बस्सी में स्थित साबिक खसरा नम्बर 1581, 1582, एवं 1583 की उत्तरी सीमा पर स्थित कदीमी रिकार्डेड रास्ते की साबिक नक्शे ट्रेस के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2318 तक पुर्वानुसार रास्ता 16 फीट हाल नक्शा ट्रेस में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अपील सरासर गलत व असत्य तथ्यों पर पेश की गई है तथा हाल बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान रिकार्डेड रास्ता जिसके साबिका खसरा नम्बर 1581, 1582, 1583 जो वर्तमान में मौके पर आने–जाने 8 फीट चौडा रास्ता कदीम से चला आ रहा है तथा उक्त रास्ते की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2321 में दर्ज नही किया है तथा मौक पर आने–जाने हेतु कदीमी से 8 फीट का रास्ता विद्यमान आज भी चालू हालत में है एवं अपीलार्थी ने पुराने नक्शा पटवारी हल्का एवं भू प्रबन्ध विभाग से नक्शा गुम हो जाने का कारण दर्शाते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि से ज्यादा रास्ता लेना चाहता है जबकि वर्तमान में मौके पर 8 फीट रास्ता चालू है जो कदीमी से चला आ रहा है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट तलब कर एवं प्रकरण के परीक्षण के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 लोक अदालत कैम्प कोर्ट ''न्याय आपके द्वार'' में पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

केवल पक्षकारान की सहमति से ही प्रकरणों के निस्तारण का प्रावधान है जबकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार की सहमति नही रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकरी, बस्सी जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण मे पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर